भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3516
दिनांक 21.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीयों को निर्वासन के लिए शुल्क

3516. **श्री मनीश तिवारीः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में अमरीका द्वारा निर्वासित किए गए भारतीय नागरिकों के लिए निर्वासन लागत के रूप में प्रति व्यक्ति कोई राशि अदा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन निर्वासित भारतीय नागरिकों को शीघ्र हटाने की कार्यवाही के दौरान अमरीकी अप्रवासन कानून के अंतर्गत उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निर्वासित भारतीय नागरिकों को हथकड़ी, बेड़ियों में जकड़े जाने और उनके साथ इस तरह से व्यवहार किए जाने के संबंध में अमरीकी प्राधिकारियों के समक्ष कोई चिंता व्यक्त की है जिससे उनकी मूलभूत मानवीय गरिमा और अधिकारों का हनन होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हाल ही में हुई अपनी चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाया है और यदि हां, तो चर्चा का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या आश्वासन प्राप्त हुए हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) जी ,नहीं।

(ख) से (घ) जनवरी 2025 से, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग का सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) (सीबीपी) वर्टिकल अमेरिकी व्हाइट हाउस – राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) के नेतृत्व में वृहत् "राष्ट्रीय सुरक्षा पहल" के भाग के रूप में निर्वासन अभियान संचालित कर रहा है। इस अभियान में निर्वासित किए गए व्यक्तियों को "त्वरित निष्कासन" प्रक्रिया के तहत रखा गया था, जिसमें अमेरिका में किसी आव्रजन न्यायाधीश के पास जाए बिना आव्रजन अधिकारी द्वारा अमान्यता का निर्धारण किया जा सकता है।

विदेश मंत्रालय निर्वासन अभियानों के दौरान निर्वासितों के साथ मानवीय व्यवहार किए जाने के बारे में अमेरिकी पक्ष के साथ बातचीत कर रहा है। मंत्रालय ने 5 फरवरी को आने वाली उड़ान में निर्वासितों के साथ किए गए व्यवहार, विशेष रूप से महिलाओं पर बेड़ियों के इस्तेमाल के संबंध में अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष अपनी चिंताएं दर्ज कराई हैं।
यह ध्यान देने योग्य है कि नवंबर जो 2012 से प्रभावी है,निर्वासन को व्यवस्थित करने और निष्पादित करने के लिए अमेरिकी मानक संचालन प्रक्रिया में निर्वासितों पर प्रतिबंधों के उपयोग की बात कही गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि निर्वासन मिशन की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जबकि महिलाओं और नाबालिगों को आम तौर पर बेड़ियाँ नहीं लगाई जाती हैं, निर्वासन उड़ान के प्रभारी उड़ान अधिकारी का इस मामले में अंतिम निर्णय होता है। अमेरिकी पक्ष ने पुष्टि की है कि 15 और 16 फरवरी को भारत आने वाली निर्वासन उड़ानों में किसी भी महिला या बच्चे को बंधन में नहीं रखा गया था। भारत पहुंचने पर निर्वासितों से पूछताछ के बाद हमारी एजेंसियों द्वारा इसकी पुष्टि की गई और इसे रिकॉर्ड किया गया।

हाल ही में 12-13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान अवैध आव्रजन नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सुरक्षित, व्यवस्थित और वैध प्रवास को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। निर्वासित लोगों के साथ मानवीय व्यवहार की मांग करते हुए अवैध अप्रवास के खिलाफ भारत के सतत रुख को दोहराया गया। दोनों पक्षों ने अवैध कार्यों में लिप्त व्यक्तियों, आपराधिक गतिविधियों में सहायता देने वालों और अवैध अप्रवासी नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके अवैध अप्रवास और मानव तस्करी से निपटने में निकट सहयोग की आवश्यकता को स्वीकार किया।

*****